

सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर

वित्तीय सेवा कार्यकारी (Financial Service Executives) का चयन।

निगम के उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीन (उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड) विभिन्न कार्यालयों में निम्नवत् विवरण के अनुसार लगभग 37 वित्तीय सेवा कार्यकारियों का 3 वर्षों के लिये अनुबन्ध के आधार पर चयन निम्न विवरणानुसार प्रस्तावित है।

मण्डल कार्यालय का नाम	पदों की सम्भावित संख्या			
	सामान्य	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुलयोग
आगरा	1	शून्य	1	2
अलीगढ़	1	शून्य	शून्य	1
इलाहाबाद	शून्य	2	शून्य	2
बरेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
देहरादून	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
फैजाबाद	5	1	1	7
गोरखपुर	1	1	2	4
हल्द्वानी	1	शून्य	शून्य	1
कानपुर	3	शून्य	शून्य	3
लखनऊ	6	1	2	9
मेरठ	3	1	शून्य	4
वाराणसी	3	1	शून्य	4

कार्य का स्वरूप – यह मूल रूप से विपणन का कार्य है। वित्तीय सेवा कार्यकारी सीधे तौर पर उन बैंक शाखाओं, जो उनको आबंटित की जाएगी, से नव व्यवसाय अर्जित करने, पॉलिसी सेवा प्रदान करने तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। वे समय-2 पर दिये गये अन्य निर्देशों का अनुपालन भी करेंगे। इस उद्देश्य से उनको आबंटित समग्र क्षेत्र में दौरा सहित अन्य गतिविधियाँ करनी होंगी।

1) पात्रता शर्तें:-

(अ) योग्यता :

आवेदक को विधि द्वारा स्थापित भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त होना चाहिए। जिन आवेदकों के पास विपणन/प्रबन्धन में स्नातक उपाधि अथवा डिप्लोमा है, उन्हें वरीयता प्रदान की जा सकती है। आवेदक को अंग्रेजी एवं किसी एक क्षेत्रीय भाषा, विशेषकर स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान वांछनीय है। कम्प्यूटर के पावर प्वाइंट/वर्ड/एक्सल का ज्ञान आवेदक के लिए अतिरिक्त श्रेष्ठता होगी।

ब) आयु:-

- (i) आवेदक की आयु दिनांक 01/10/2012 को 21 वर्ष पूर्ण तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ii) दिनांक 01/10/2012 को आवेदक की अधिकतम आयु नीचे उल्लिखित समूह में दी गई आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्र.सं.	श्रेणी	आयु (वर्षों में)
1	अनुसूचित जाति का सदस्य	40
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का सदस्य	38
3.	भूतपूर्व सैनिक	35 + सशस्त्र सेनाओं में प्रदान किये गये सेवा वर्षों की संख्या। परन्तु आवेदक के अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित होने पर अधिकतम आयु 45 वर्ष, अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होने पर अधिकतम आयु 47 वर्ष तथा आवेदक के अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति से सम्बन्धित न होने पर अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।

स) निगम के ऐसे अभिकर्ता, जिनके पास आई0आर0डी0ए0 द्वारा निर्गत वैध लाइसेंस हैं, उन्हें इस पद हेतु अयोग्य माना जायेगा ।

2. **चयन प्रक्रिया** :- आवेदन की अन्तिम तिथि को प्राप्त सभी आवेदन प्रपत्रों की जाँच (scrutiny) के उपरान्त सही प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों के साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा और इस सम्बन्ध में निगम द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। साक्षात्कार में सफल आवेदकों को निगम द्वारा अधिकृत स्वास्थ्य परीक्षक द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ पाये जाने पर ही उन्हें वित्तीय सेवा कार्यकारी के रूप में चयनित किया जायेगा।
3. चयनित आवेदकों को अनुबन्ध की अवधि के दौरान व्यावसायिक आवश्यकतानुसार किसी भी क्षेत्र के लिए चयनित किया जा सकता है।
4. चयनित आवेदकों को सैद्धान्तिक प्रशिक्षण लेना होगा, आई आर डी ए द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा जीवन बीमा व्यवसाय अर्जित करने हेतु लाइसेन्स लेना होगा। लाइसेन्स प्राप्त कर लेने के पश्चात्, यदि आवेदक इस योजना की चयन शर्तों के अनुरूप योग्य पाया जायेगा तो निगम द्वारा बनायी गयी शर्तों के अधीन संविदा के आधार पर उसका वित्तीय सेवा कार्यकारी के रूप में चयन किया जा सकता है।

5. वित्तीय सेवा कार्यकारी को वित्तीय सेवा कार्यकारी स्कीम में वार्षिक न्यूनतम व्यवसाय मापदंड पूर्ण करने पर प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि (वाहन एवं मोबाइल खर्च प्रतिपूर्ति सहित प्रथम वर्ष कुल रू0 10000/-, द्वितीय वर्ष रू0 11300/- एवं तृतीय वर्ष रू0 12700/-) तथा उसके वार्षिक कार्य-निष्पादन के आधार पर स्कीम की शर्तों के अनुसार प्रोत्साहन राशि भुगतान की जायेगी।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय सेवा कार्यकारी के रूप में किसी आवेदक का चयन, उसे निगम के स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता।
7. **आवेदन कैसे करें:-** दिनांक 01/10/2012 को पात्रताशर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदक संलग्न प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र को पूर्ण आकार के कागज पर साफ-2 बड़े अक्षरों में हस्तलिखित अथवा टाइप किया हुआ होना चाहिए। आवेदनपत्र पर आवेदक के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित का संलग्न किया जाना आवश्यक है:-
 - (i) आवेदन शुल्क के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में सम्बन्धित मण्डल कार्यालय के स्थान पर देय रू0 100/- का बैंक ड्राफ्ट । केवल अनु0जाति के अभ्यर्थियों को बैंक ड्राफ्ट देय नहीं है ।
 - (ii) अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के सम्बन्ध में सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - (iii) शैक्षिक योग्यता एवं आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
 - (iv) भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे उपर्युक्त क्रम संख्या 2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ एवं प्रत्येक प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रतियों का एक सेट अपने पास तैयार रखें ताकि साक्षात्कार के समय इनका सत्यापन किया जा सके।
- 8 **आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय):-**समस्त आवेदकों (अनुसूचित जाति को छोड़कर) से रुपये 100/- की धनराशि आवेदन शुल्क के रूप में देय है। यह आवेदन शुल्क भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में सम्बन्धित मण्डल कार्यालय के स्थान पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट (छः माह हेतु वैध) के माध्यम से भुगतान होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम और जन्म तिथि लिखी जानी चाहिए।

आवेदन पत्र (संलग्नको सहित) प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 10/11/2012 है। विदेश में अथवा अण्डमान निकोबार लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप समूह, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के 'लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपमण्डल के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15/11/2012 है।

पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, संलग्नकों सहित, एक बन्द लिफाफे में भेजा जाना है तथा लिफाफे के ऊपर "वित्तीय सेवा कार्यकारी हेतु चयन, मण्डल (मण्डल कार्यालय का नाम जहां के लिये आवेदन किया गया है) लिखा होना चाहिए। आवेदन पत्र सम्बन्धित मण्डल कार्यालय के पते पर प्रेषित किये जाने हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन प्रकाश संजय प्लेस एम०जी० रोड आगरा - 282002	वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन प्रकाश मसूदाबाद जी०टी० रोड अलीगढ़ . 202001
वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय 172-ए/140 महात्मागांधी मार्ग इलाहाबाद - 211001	वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय 'जीवन प्रकाश', डी डी पुरम, बरेली . 243122
वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन प्रकाश प्रभात नगर मेरठ - 250001	वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन प्रकाश, नेहरू नगर कालोनी हरिद्वार रोड देहरादून - 248001
वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन विकास न्यू देओरिया पास बुद्धबिहार कामर्शियल स्कीम, तारामण्डल रोड गोरखपुर - 273017	वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन प्रकाश नैनीताल रोड हलद्वानी - 263126
वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन विकास 16/275 सिविल लाइन्स कानपुर - 208001	वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन प्रकाश बी०.12/120 गौरीगंज वाराणसी . 221001
वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन प्रकाश 30ए हजरतगंज लखनऊ . 226001	वरि० मण्डल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय अयोध्या रोड, बेनीगंज फैजाबाद-224001

सामान्य निर्देश :-

- (क) आवेदन करने से पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वह इस सूचना में दी गयी समस्त पात्रता-शर्तों को पूरा करते हैं। पात्रता-शर्तों को पूरा न करने वाले आवेदकों को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- (ख) किसी भी प्रकार से आवेदन पत्र विलम्ब से प्राप्त होने अथवा मार्ग में डाक के खो जाने के सम्बन्ध में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
- (ग) निर्धारित प्रारूप पर न भरे गये अथवा अपूर्ण/अहस्ताक्षरित अथवा आवेदन शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट (जहाँ लागू हो) के बिना प्राप्त हुए आवेदनपत्रों अथवा अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र विहीन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा और वे निरस्त किये जाने योग्य हैं।
- (घ) किसी भी परिस्थिति में एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही उसे किसी अग्रिम भर्ती हेतु बचाकर रखा जायेगा।
- (च) पात्रता, साक्षात्कार, अन्य परीक्षण, चयन एवं क्षेत्र आबंटन के सम्बन्ध में निगम द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा और यह समस्त आवेदकों पर बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में निगम द्वारा किसी भी प्रतिवेदन अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (छ) यदि किसी आवेदक से एक ही मण्डल एवं/अथवा विभिन्न मण्डलों एवं/अथवा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्ध में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो निगम द्वारा बनाये गये आवेदन प्राप्ति रजिस्टर में सबसे पहले अंकित आवेदन पत्र को आवेदक का एक मात्र आवेदनपत्र माना जायेगा और उसके द्वारा प्रेषित अन्य समस्त आवेदनपत्रों को अवैध माना जायेगा। किसी भी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम और आवेदक पर बाध्यकारी माना जायेगा।
- (ज) किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जायेगा।

दिनांक : 25/10/2012

क्षेत्रीय प्रबन्धक

9. विक्रय अनुभव –

अवधि
.....सेतक
.....सेतक

संस्थान का नाम एवं स्थान
.....

10. क्या आप निगम के किसी अभिकर्ता/कर्मचारी/अधिकारी/स्वास्थ्य परीक्षक इत्यादि से सम्बन्धित है? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो विवरण दीजिए—

(क) उसका नाम.....(ख) पद

(ग) पदस्थापना/कार्य का स्थान.....(घ) सम्बन्ध.....

11. मातृ भाषाअन्य भाषाएं जिनका आपको ज्ञान हों.....

12. आवेदन पत्र के साथ संलग्नक:—

मैं आवेदन पत्र के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट और निम्नलिखित सत्यापित प्रपत्र संलग्न कर रहा हूँ:—

(क) जन्मतिथि दर्शाते हुए सीनियर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी प्रमाणपत्र/नगर पालिका का जन्म प्रमाण पत्र।

(ख) स्नातक उपाधि का प्रमाण पत्र।

(ग) अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और

(घ) भूतपूर्व सैनिकों की दशा में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र।

मैं एतत् द्वारा यह पुष्टि करता हूँ कि मैंने निगम में वित्तीय सेवा कार्यकारी के रूप में चयन हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और इस चयन की अवधि के दौरान यदि कभी भी यह पाया जाता है कि मैंने कई आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं तो मेरा चयन बिना किसी कारण बताये तत्काल समाप्त कर दिया जाये।

मैं एतत् द्वारा यह भी घोषित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये समस्त कथन मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सच व सही है। मैं समझता हूँ कि आवेदित पद हेतु निर्धारित पात्रता-शर्तों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दी गयी कोई भी सूचना यदि असत्य अथवा झूठी पायी जाती है तो, चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा निगम के साथ मेरे चयन की अवधि के दौरान कभी भी मेरी अभ्यर्थिता अस्वीकृत/निरस्त की जा सकती है। मुझे यह शर्त भी स्वीकार है कि प्रत्येक मामले में निगम द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मुझ पर बाध्यकारी होगा।

स्थान –

दिनांक –

(आवेदक के हस्ताक्षर)